

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्थानान्तरण 2020-21 दिनांक- 25.09.2021 के तहत श्री रामेश्वर दयाल शर्मा व्याख्याता, संस्कृत का स्थानान्तरण राउमावि कमला नेहरू, जयपुर से राउमावि लक्ष्मणगढ़, अलवर किया गया।

श्री रामेश्वर दयाल शर्मा व्याख्याता, संस्कृत द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील सं. 6143/2021 श्री रामेश्वर दयाल शर्मा बनाम सरकार व अन्य दायर की गई। जिस पर माननीय अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 06.12.2021 द्वारा अपीलार्थी को रिक्त पद दर्शाते हुए विभाग के समक्ष अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे नियमानुसार एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित करने एवं निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये गये।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की पत्नि एल-1 पद पर रामावि गोल्यावास, सांगानेर, जयपुर में कार्यरत होने एवं विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि सुखपुरिया, जयपुर में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रा और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.12.2021 को कार्यग्रहण कर चुका है। अतः इनके द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एलद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित हों।



(काना राम)

आई.ए.एस.
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अपील सं.6143/रामेश्वर दयाल शर्मा/संस्कृत/2021 दिनांक : 18.02.22
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. संबंधित प्राधानाचार्य,
9. संबंधित कार्मिक
10. निजी/रक्षित पत्रावली

✓ संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर